BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)

ORIGINAL APPLICATION NO. 1270 OF 2024

IN THE MATTER OF :

IMRAN ALI .... APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT & ORS. .... RESPONDENTS

NDOH : 05.02.2026

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGES
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 – MUNICIPAL COUNCIL, KIRATPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 11.12.2025.	1 – 6
2.	**ANNEXURE-AA-4/1** : A true copy of the Show Cause Notice dated 31.01.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur regarding permission dated 07.06.2022.	7
3.	**ANNEXURE-AA-4/2** : A true copy of reply dated 04.02.2025 by Respondent No. 8.	8 – 11
4.	**ANNEXURE-AA-4/3** : A true copy of the Supplementary Show Cause Notice dated 05.02.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur.	12 – 13
5.	**ANNEXURE-AA-4/4** : A true copy of reply dated 11.02.2025 by Respondent No. 8.	14 – 15
6.	**ANNEXURE-AA-4/5** : A true copy of the Show Cause Notice dated	16

	31.01.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur regarding permission dated 27.02.2024.	
7.	**ANNEXURE-AA-4/6** : A true copy of reply dated 04.02.2025 by Respondent No. 8.	17 – 20
8.	**ANNEXURE-AA-4/7** : A true copy of the Supplementary Show Cause Notice dated 05.02.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur.	21 – 22
9.	**ANNEXURE-AA-4/8** : A true copy of reply dated 11.02.2025 by Respondent No. 8.	23 – 24
10.	**Proof of Service.**	25

FILED BY :

(VIKAS KUMAR SINGH)
Advocate for the Respondent No. 4
134, New Lawyer's Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi – 110001.
Mobile : +91 9911111246
Email : v.vlawassociates@gmail.com

New Delhi
Dated : 04.02.2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)

ORIGINAL APPLICATION NO. 1270 OF 2024

IN THE MATTER OF :

IMRAN ALI .... APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT & ORS. .... RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 – MUNICIPAL COUNCIL, KIRATPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 11.12.2025.

I, Abdul Mannan S/o Late Mohd. Rizwan aged about 43 years, R/o Mohalla-Razdan, Bassi, Kiratpur, Distt.-Bijnor (U.P.), at present Chairman of Municipal Council, Kiratpur, Bijnor, (U.P.) and present in New Delhi do hereby solemnly sate on oath as under :-

1. That the deponent is at present Chairman of Municipal Council, Kiratpur, Distrcit-Bijnor, Uttar Pradesh and is well conversant with the facts of the case on the basis of official records. The deponent is authorized and competent to swear this Counter Affidavit.

2. That in compliance of order dated 11.12.2025 passed by this Hon'ble Court in Original Application No. 1270 of 2024, the Respondent No. 4 given liberty to bring on record action taken against Respondent No. 8.

NOTARY PUBLIC ★ GOVT. OF INDIA ★ Sangita Mishra Advocate Delhi Regn. No. 16967 Date of Expiry 31-01-2030

3. That an additional affidavit is being filed by the answering respondent at this stage bring on record action taken against Respondent No. 8 as to whether there is encroachment over pond land or not ?

4. That a show cause notice vide Letter No. 505 / N.P. Par. Kir. / 2024-25 (Bijnor) Date-31-01-2025 by the Executive officer of the Respondent No. 4 regarding cancellation of permission letter No. 37 / N.P. Par. Kir. / 2022-23 dated 07.06.2022, which was issued to the respondent no. 8 on the condition that if any kind of illegal construction found on pond land that illegal construction will be demolished. A true copy of the Show Cause Notice dated 31.01.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur regarding permission dated 07.06.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/1**.

5. That the respondent no. 8 in response to show cause notice dated 31.01.2025 stated :

   (a) no interference in ownership of Khasra No. 2181/1 & 2 area 3 Bigha 8 Biswansi and Khasra No. 2182/2 area 7 Biswa 9 Biswansi total 3 Bigha 15 Biswa 9 Biswansi as ownership was shown vide respective sale deeds and at that point of time no case was pending;

   (b) execution has been filed on 24.12.2024 which is pending and notice of which has been served upon the respondents;

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

3

(c) permission could not be cancelled as it could have been cancelled within 6 months from 07.06.2022 under sub section 6 of Nagar Palika Act, 1916.

A true copy of reply dated 04.02.2025 by Respondent No. 8 is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/2**.

6. That it is humbly submitted here no averments made regarding illegal construction over pond land in the said reply dated 04.02.2025.

7. That not finding any reply regarding illegal construction over pond land Executive officer of the Respondent No. 4 issued supplementary Show cause notice no. 505/N.P.P.K./2024-25 Date 05-02-2025 to the respondent no. 8 stating breach of undertaking clause 22 which says no encroachment will be made on 7590 sq. m. of pond land which has been breached and construction is being carried out in 7590 sq. m. of pond land, therefore an issue of demolition is being made out according to clause 15. A true copy of the Supplementary Show Cause Notice dated 05.02.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/3**.

8. That the respondent no. 8 in response to supplementary show cause notice dated 05.02.2025 stated :

With regard to your contention encroachment over 7590 sq. m. of pond land near proposed construction

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

site, it is stated that the applicant has not encroached on any such pond land whose ownership is vested in the Municipal Council and the State Government and the applicant has completed construction on his purchased land.

A true copy of reply dated 11.02.2025 by Respondent No. 8 to the supplementary show cause notice is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/4**.

9. That further similar show cause notice no. 506 / N.P. Par. Kir. / 2024-25 (Bijnor) Date-31-01-2025 and supplementary show cause notice supplementary Show cause notice no. 506/N.P.P.K./2024-25 Date 05-02-2025 and replies containing same contentions dated 04.02.2025 and 11.02.2025 respectively were exchanged between the respondent no. 4 and respondent no. 8 regarding cancellation of permission letter No. 145 / N.P. Par. Kir. / 2022-23 dated 27.02.2024 which are not being repeated for the sake brevity.

A true copy of the Show Cause Notice dated 31.01.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur regarding permission dated 27.02.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/5.**

A true copy of reply dated 04.02.2025 by Respondent No. 8 is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/6**.

A true copy of the Supplementary Show Cause Notice dated 05.02.2025 issued by Municipal Council, Kiratpur is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/7**.

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 10967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

A true copy of reply dated 11.02.2025 by Respondent No. 8 is annexed herewith as **ANNEXURE-AA-4/8.**

Therefore, according to response dt. 11.02.2025 by Respondent no. 8 no encroachment over pond land.

10. That respondent no. 8 (M/s. Garnish Land Pvt. Ltd.) sought permission to construct a commercial complex on the land purchased by them, the municipal council has granted permission for construction on the ground floor of the said land with 23 conditional / restrictions by letter no. 37 dated 07.06.2022 and letter no. 145 dated 27.02.2024 on the following **specific condition:**

> *22. There will be no encroachment of any kind on 7590 sq.m. pond land near the proposed construction site.*

11. That it is humbly submitted the Municipal Council, Kiratpur since inception endeavouring to prevent the encroachment on the Pond land and restore and keep the existence of Pond Gata No. 2181 being recorded in base year of 1359 F.

12. That further it is humbly submitted the respondent no. 4 is taking all lawful measures within the ambit of law to prevent and restore the existence of Pond / waterbody.

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

6

13. That it is humbly submitted that the respondent reserve its right to add-alter and modify the additional affidavit filed by him and to submit further facts, if so necessary in future for proper adjudication of this case.

DEPONENT

VERIFICATION : 04 FEB 2026

Verified at New Delhi on this day 04th February 2026 that the contents of this affidavit based on official record(s) maintained and information available in the office are true and correct, no part of it is false and nothing has been concealed there from.

DEPONENT

I identify the deponent who has signed/T.I in my presence

Mr./Ms Self Adv./Self

ID No. 8180791115

NOTARY PUBLIC ★ GOVT. OF INDIA ★ Sangita Mishra Advocate Delhi Regn. No. 16967 Date of Expiry 31-01-2030

ATTESTED

Mrs. Sangita Mishra
Advocate Delhi
Regn. No. 16967
Govt. of India
Mob. No. 9990312780

NOTARIAL REGISTER
Sr. No. 1061 PAGE 66
Dated 4-2-26 Reg. No. 5

703 7

कार्यालय नगर पालिका परिषद, किरतपुर (बिजनौर)

पत्रांक 505 /न0पा0परि0किर0/2024-25 दिनांक- 31 -01-2025

ANNEXURE-AA-4/1

:-नोटिस-:

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0 लि0,
गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा0 लि0,
गार्निश बिल्डर्स प्रा0 लि0,
हेड ऑफिस- 26/6 पटेलनगर नई दिल्ली
वाके मौहल्ला हसनपुरा किरतपुर जनपद बिजनौर

विषयः- पत्रांक 37/न0पा0परि0किर0/2022-23 दिनांक 07.06.2022 के निरस्त करने के सम्बन्ध में।

यह कि मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0लि0, गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा0 लि0, गार्निश बिल्डर्स प्रा0 लि0 हेड ऑफिस 26/6 पटेल नगर नई दिल्ली निर्माण स्थल मौहल्ला हसनपुरा किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनाकित 04.06.2022 से कामिर्शियल बिल्डिंग निर्माण हेतु नक्शा संलग्न कर अनुमति मांगी गयी थी।

1. यह कि उक्त नक्शे व प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ-पत्र दिनांक 20.05.2022 भी संलग्न किया था, जिसमें पैरा नम्बर 4 में पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उक्त सम्पत्ति के बजरिये बैनामा मालिक थे और आप द्वारा बैनामें दाखिल किये गये थे।
2. यह कि आप द्वारा पैरा नम्बर 5 में ये स्पष्ट किया था कि उक्त सम्पत्ति पर कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि आप द्वारा पैरा नम्बर 6 में स्पष्ट है कि यदि उक्त सम्पत्ति पर भविष्य में कोई वाद पाया जाता है तो हमारा मानचित्र निरस्त कर दिया जायें।
4. यह कि उक्त प्रार्थना व शपथ पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त सशर्त आपकों पत्रांक 37/न0पा0परि0किर0/2022-23 दिनांकित 07.06.2022 को सम्पूर्ण शर्तो के साथ भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृति पत्र मानचित्र स्वीकार किया गयां।
5. यह कि पत्रांक 37/न0पा0परि0किर0/2022-23 के पैरा नम्बर 6, 15, 16, 19 व 21 के सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्नगत निर्माण में दी स्वीकृति आवेदक द्वार छल, कपट, गलत दस्तावेज से प्राप्त की जाती है या भू-स्वामित्व अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर स्वीकृति प्राप्त की गयी है, ओर निर्माण दौरान या बन जाने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि निर्माण सरकारी भूमि पर आंशिक/पूर्ण रूप से तैयार है तथा तालाब भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो उक्त समस्त परिस्थितियों में स्वीकृति/अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी अथवा निर्माण अनाधिकृत मानकर ध्वस्त कर दिया जायेगा।
6. यह कि निर्माण स्थल के सम्बन्ध में पैरा नम्बर 22 में स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा पर अनुज्ञा पत्र माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा तथा सक्षम न्यायालय का निर्णय मान्य होगा।
7. यह कि ज्ञात हुआ कि आप द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तो का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है, तथा सही तथ्य छिपाकर और झूठा शपथ-पत्र देकर गलत तरीकों से नगर पालिका परिषद, किरतपुर को गुमराह कर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किया जो कि कानूनन जुर्म है ओर पूर्ण रूप से अवैध है।

अतः आप उक्त नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका परिषद किरतपुर (बिजनौर) के कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ स्पस्टीकरण दें, अन्यथा आपका अनुज्ञा-पत्र संख्या 37/न0पा0परि0किर0/2022-23 दिनांकित 07.06.2022 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 180 की उपधारा 6 के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी और आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक वद दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी, तथा आपके द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगां।

Recd. 1.2.25

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)

-TRUE COPY-

8

ANNEXURE-AA-4/2

प्रेषकः–

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा०लि०
गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा०लि०
गार्निश बिल्डर्स प्रा०लि०
हैड ऑफिस 26/6 पटेलनगर नई दिल्ली
वाके मौहल्ला हसनपुरा किरतपुर, जनपद बिजनौर।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)।

विषयः– आपके द्वारा प्रेषित पत्रांक 37/न0पा0परि0किर0/2022–23 दिनांक 07.06.2022 के निरस्त करने के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्रांक में वर्णित तथ्य गलत आधार पर अंकित किये गये है, जिनका प्रस्तरवर स्पष्टीकरण प्रार्थी प्रस्तुत कर रहा है–

1– यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 1 में वर्णित तथ्य सही है, जिस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

2– यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 2 में भी वर्णित तथ्य सही है, क्योंकि प्रार्थी का कोई मुकदमा तत्समय विचाराधीन नहीं था।

3– यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 3 में वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये है, लेकिन प्रश्नगत सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और न था, इसलिए मानचित्र निरस्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

4– यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 4 में वर्णित तथ्य अपूर्ण अंकित किये गये है, वरन् अनुज्ञा पत्र दिनांकित 07.06.2022 में वर्णित शर्तों के अधीन प्रार्थी को व्यवसायिक मार्केट के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

5– यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 5 में आपने अनुज्ञा पत्र के पैरा सं0 6, 15, 16, 19 व 21 को गलत आधार पर अंकित किया है, जबकि अनुज्ञा पत्र के प्रस्तर सं0 6 में यह अंकित है कि मानचित्र स्वीकृति/अनुज्ञा से स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तर सं0 15 में यह अंकित है कि प्रश्नगत निर्माण में दी गई स्वीकृति को आवेदक द्वारा छल कपट, गलत दस्तावेज से प्राप्त कर ली

04-02-25

For Garnish Lands Pvt. Ltd.
Director/Auth. Sign.

जाती है, तो स्वीकृति को निरस्त कर दिया जायेगा, लेकिन प्रार्थी के द्वारा जैसा कि आपने अपने द्वारा प्रेषित पत्र के प्रस्तर सं0 1 में वर्णित किया है कि अपने को बजरिये बैनामा मालिका होना अंकित किया था और बैनामे दाखिल किये गये थे, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्माण में दी गई स्वीकृति को प्रार्थी द्वारा छल कपट या गलत दस्तावेज से प्राप्त नहीं किया गया। संयुक्त उपरांत नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा 6 में स्पष्ट वर्णित है कि बोर्ड उपधारा 1 के अधीन अपने द्वारा दी गई किसी स्वीकृति को 6 मास के भीतर रद्द या उपान्तरित कर सकता है। इसलिए प्रार्थी को व्यवसायिक मार्केट जो अनुज्ञा पत्र दिनांक 07.06.2022 के कम में पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है, की अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार नहीं है और चूंकि प्रार्थी द्वारा निर्माण अपने आराजी में अधिकार पूर्वक किया गया है, इसलिए उक्त निर्माण को हरगिज अनाधिकृत नहीं माना जा सकता है और उसे ध्वस्त करने का भी कोई अधिकार आपको नहीं है।

6— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 6 में आपने सही तथ्य अंकित किया है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा, यह अनुज्ञा पत्र न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा और सक्षम न्यायालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

7— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 7 में आपका यह लिखना कि "यह कि ज्ञात हुआ कि आप द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है तथा सही तथ्य छिपाकर तथा झूठा शपथ पत्र देकर, गलत तरीकों से नगर पालिका परिषद किरतपुर को गुमराह कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया है, जोकि कानूनन जुर्म है और पूर्ण रूप से अवैध है।" गलत अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही कोई सही तथ्य छिपाये गये है और न ही कोई झूठा शपथ पत्र दिया गया तथा यह अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है कि नगर पालिका परिषद किरतपुर को गुमराह कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई कानूनन जुर्म नहीं किया। वरन् आपके द्वारा वर्णित कानूनन जुर्म पूर्ण रूप से अवैध सही अंकित किया गया है।

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

10

<u>विशेष स्पष्टीकरण</u>

श्रीमान जी, आपके द्वारा गलत आधार पर प्रार्थी को दिक व परेशान करने की नीयत से पत्रांक दिनांकित 31.01.2025 सं0 505 प्रेषित किया गया है, आपको बाखूबी ईल्म है कि प्रार्थी के विक्रेतागण रमेश चन्द गोयल आदि ने राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बिजनौर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, नगर पालिका परिषद किरतपुर द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर के विरूद्ध मूलवाद सं0 586/2013 रमेश चन्द गोयल आदि बनाम राज्य सरकार आदि, न्यायालय सिविल जज सी0डि0 बिजनौर में निषेधाज्ञा हेतु दायर किया था, जिसमें दिनांक 09.12.2015 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"दावा वादी आज्ञप्त किया जाता है, प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को हमेशा के लिए निषेधित किया जाता है कि वह आराजी खसरा सं0 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिसवांसी पुख्ता व खसरा सं0 2182/2 रकबई 7 बिसवे 9 बिसवांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघा 15 बिसवे 9 बिसवांसी पुख्ता स्थित ग्राम किरतपुर कस्बा व परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी राकेश कुमार गोयल के स्वामित्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 की दुकानात, मकानात आदि को तोड़ने से बाज रहे।"

उक्त निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर आप नगर पालिका परिषद किरतपुर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर के द्वारा जनपद न्यायाधीश बिजनौर के न्यायालय में सिविल अपील सं0 14/2018 दायर की गई, जिसमें दिनांक 28.04.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"Civil apeal no. 14/2018 Nagar Palika Parishad and others vs. Ramesh Chand Goel and others is hereby dismissed with cost and the impugned judgment and decree are hereby confirmed."

यह कि उक्त आदेश का कियान्वयन मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगित नहीं किया गया है और चूंकि आप अधिशासी अधिकारी श्रीमती

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

11

मेघा गुप्ता व अध्यक्ष श्री अब्दुल मन्नान व प्रभारी तहसीलदार, तहसील नजीबाबाद श्री अमित कुमार मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी0डि0 बिजनौर में इजराय वाद सं0 /2024 गार्निश लैंड प्रा0लि0 बनाम श्रीमती मेघा गुप्ता आदि दिनांक 24.12.2024 को दायर की गई थी, जिसके नोटिस की तामीला आप विपक्षी पर हो चुकी है। उक्त इजराय वाद में दिनांक 06.02.2025 तिथि सुनवाई हेतु नियत है। जिससे क्षुब्ध होकर आपने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर, जिला बिजनौर ने प्रश्नगत नोटिस पत्रांक 505 दिनांक 31.01.2025 जारी किया है। यदि आप विपक्षी ने अनुज्ञा पत्र दिनांकित 07.06.2022 को अपने द्वारा प्रेषित नोटिस के आधार पर निरस्त किया, तब प्रार्थी विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि आपने द्वारा प्रेषित नोटिस पत्रांक 505 दिनांकित 31.01.2025 को वापस ले लें और प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न करे।

सविनय अनुरोध सहित प्रेषित।

प्रार्थी

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर अमन गोयल पुत्र श्री प्रदीप गोयल नि0 मौ0 महाजनान कस्बा व परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर–246731

मो0नं0– 9837133699

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

-TRUE COPY-

-12

ANNEXURE-AA-4/3

:: अनुपूरक नोटिस ::

कार्यालय नगर पालिका परिषद, किरतपुर (बिजनौर)

संख्या– 505/न०पा०परि०कि०/2024–25 दिनांक– 5–02–2025

नोटिस द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर जनपद–बिजनौर

बनाम

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0लि0, गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा0 लि0, गार्निश बिल्डर्स प्रा0लि0,
पता–वांके मौहल्ला हसनपुरा, किरतपुर जनपद–बिजनौर।
मुख्य कार्यालय 26/6 पटेल नगर, नई दिल्ली। द्वारा प्रबंधक

आप विपक्षी द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 178 एक्ट 1979 दिनांक 04–06–2022 को सम्पत्ति स्थित कस्बा किरतपुर सीमाऐं पूरब में राकेश गोयल, पश्चिम में बिजनौर–नजीबाबाद रोड, उत्तर में बिजनौर–नजीबाबाद रोड व दक्षिण में कब्रिस्तान पर निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद, किरतपुर में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त उक्त प्रार्थना पत्र पालिका कार्यालय में पत्रांक संख्या 37–2022–23 दिनांक 04–06–2022 के रूप दर्ज हुआ। इस प्रार्थना पत्र पर आपकी ओर से शपथ पत्र दिनांकित 20–05–2022 भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर आपके हस्ताक्षर है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अनुमति भवन निर्माण दिनांक 07–06–2022 सशर्त निर्गत की गई इस अनुज्ञा पत्र में शर्त सं0–01 "आवेदक अपने स्वामित्व प्राप्त वैधानिक भूमि में ही अपना निर्माण कार्य करायें" निर्धारित थी परन्तु आप विपक्षीगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर निर्माण न कराकर शर्त सं0–21 "प्रस्तावित निर्माण स्थल के निकट तालाब की भूमि 7590 वर्ग मी0 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे" को भंग करते हुए शर्त सं0–21 में वर्णित तालाब रकबई 7590 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शर्त सं0–13 निम्नानुसार लगाई थी कि आपके द्वारा खुली भूमि मे कम से कम पांच वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा तथा वृक्ष लगाते हुए पांच फोटो कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही अनुमति दी जायेगी। इस शर्त के अनुसार कम से कम 5 वृक्ष लगाकर फोटों कार्यालय में जमा किये जाने थे। किन्तु आपके द्वारा इस शर्त का अनुपालन नही किया गया है और न ही फोटो नगर पालिका परिषद, किरतपुर कार्यालय में जमा किये गये है।

आपका स्वामित्व उक्त भूमि पर विवादस्पद है नगर पालिका परिषद, किरतपुर ने इस विवाद में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में द्वितीय अपील 330/2020 योजित की हुई है जिसकी आपकों प्रत्येक समय पूर्ण जानकारी रही है। आपने मा0 न्यायालय सीनियर डिवीजन, बिजनौर से नोटिस निष्पादन वाद सं0 586/2013 भी नगर पालिका परिषद, किरतपुर को निर्गत कराये है। इस तथ्य से भी स्थापित हो रहा है कि आपने अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या–15 "प्रश्नगत निर्माण में दी गयी स्वीकृति को आवेदक द्वारा छल कपट, गलत दस्तावेज से प्राप्त कर ली जाती है तो उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 180 की उपधारा–6 के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति को निरस्त कर दिया जायेगा" एवं शर्त संख्या–16 "भू–स्वामित्व अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति की जानकारी होने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा और इस दौरान किया गया निर्माण अनाधिकृत मानकर ध्वस्त करा दिया जायेगा एवं भुकम्परोध प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा" को भी भंग किया गया है।

क्रमशः—02

13

आपने उक्त स्वामित्व विवाद जिसकी बाबत आपने उक्त निष्पादन वाद योजित किया है एवं नगर पालिका परिषद, किरतपुर से अपील योजित की हुई है को छिपाते हुए उक्त आवेदन सं0 37–2022–23 दिनांक 04–06–2022 में कोई खसरा नं0 उक्त सम्पत्ति का स्पष्ट नही किया था इस प्रकार स्थापित हो रहा है कि अनुज्ञा पत्र में वर्णित शर्तो का भंग आपके द्वारा स्वयं किया गया है। शर्त संख्या–15 के निर्धारण अनुसार उक्त अनुज्ञा निरस्त किये जाने व निर्माण को अनाधिकृत मानकर ध्वस्त किये जाने का मामला बन रहा है।

अतः आप विपक्षी को नोटिस दिया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 5 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण मय साक्ष्यों नगर पालिका परिषद, किरतपुर कार्यालय में प्रस्तुत करें कि अनुज्ञा पत्र दिनांक 07–06–2022 की शर्तो का भंग कर निर्माण किया जाना क्यों न माना जाये तथा इस निर्माण को दी गई अनुमति क्यों न निरस्त कर दी जाये एवं यह भी कि इस निर्माण को अनाधिकृत निर्माण मानकर ध्वस्त करा दिया जाये।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)

Recd. Aman
5.2.25

-TRUE COPY-

O/c

14

ANNEXURE-AA-4/H

प्रेषकः—

मैसर्स गार्निश लैण्ड्स प्रा0लि0
गार्निश इन्फ्रा कॉन प्रा0लि0
गार्निश बिल्डर्स प्रा0लि0
हैड आफिस 26/6 पटेल नगर नई दिल्ली
वाके मौ0 हसनपुर किरतपुर, जिला बिजनौर।

सेवा मेंः—

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद किरतपुर,
जिला बिजनौर।

विषयः— आपके द्वारा प्रेषित पत्र सं0 505/न0पा0परि0कि0/2024—25 दिनांक 05.02.2025 अनुपूरक नोटिस के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित अनुपूरक नोटिस अन्तर्गत धारा 178 एक्ट 1979 दिनांक 05.02.2025 पत्रांक 37—2023—24 दिनांक 07.06.2022 के रूप में दर्ज होना अंकित किया। उक्त सम्बन्ध में आपने पत्रांक 37 दिनांक 31.01.2025 प्रेषित किया था, जिसका जवाब आपके द्वारा दस्ती प्राप्त न करने के कारण दिनांक 04.02.2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दिया गया। अनुज्ञा पत्र दिनांकित 07.06.2022 में जो शर्तें अंकित की गई थी, उन सभी का प्रार्थी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया। आपके द्वारा यह लिखना कि शर्त सं0 22 प्रस्तावित निर्माण स्थल के निकट तालाब की भूमि 7590 वर्गमीटर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगें, के सम्बन्ध में कथन है कि आवेदक द्वारा तालाब की किसी भी ऐसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, जिसका स्वामित्व नगर पालिका परिषद व राज्य सरकार में निहित हो। आवेदक द्वारा समस्त निर्माण अपनी खरीदकर्दा आराजी पर किया गया है। जहां तक शर्त नं0 14 में पांच वृक्ष लगाने का प्रश्न है, आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण करने से पूर्व 5 वृक्ष लगाये थे और उन्हें फोटो भी कार्यालय नगर पालिका परिषद किरतपुर में जमा कर दिये थे, लेकिन व्यवसायिक निर्माण होने के कारण उक्त पेड़ों का विकास न हो सका। बहराल आपके द्वारा केवल आवेदक को

11-02-2025

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

15

दिक व परेशान करने के लिए नोटिस प्रेषित किया गया है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 180 की उपधारा 6 में स्पष्ट वर्णित है कि बोर्ड उपधारा 1 के अधीन अपने द्वारा दी गई किसी स्वीकृति को 6 मास के भीतर रद्द या उपान्तरित कर सकता है। आपको कोई अधिकार स्वीकृत अनुज्ञा पत्र जिसके आधार पर निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, को रूकवाने अथवा ध्वस्त करने का नहीं है। अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि निष्पादन वाद का ज्ञान होने के पश्चात भी आपने अपील योजित होना अंकित किया, जबकि आपको पूर्ण ज्ञान है कि उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आज तक किसी प्रकार का निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मा0 अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना आपका दायित्व है। लेकिन आपने दायित्व से बचकर आवेदक को विभिन्न प्रकार के नोटिस देकर केवल दिक व परेशान करना चाहते है।

अतः आप अपने उक्त पत्र के आधार पर आवेदक को दी की निर्माण अनुज्ञा पत्र को निरस्त न करे और आवेदक द्वारा किये गये किसी भी निर्माण को ध्वस्त न कराये। उक्त के सम्बन्ध में यदि आप किसी भी प्रकार का आदेश पारित करते है तो वह खुल्लम खुल्ला मा0 न्यायालय सिविल जज सी0डि0 बिजनौर द्वारा पारित निर्णय व डिकी की अवहेलना होगी।

सादर सविनय प्रेषित।

आवेदक

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

मैसर्स गार्निश लैण्ड् प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर अमन गोयल पुत्र श्री प्रदीप गोयल नि0 मौ0 महाजनान कस्बा व परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर–246731,
मो0नं0– 9837233699

-TRUE COPY-

16

ANNEXURE-AA-4/5

कार्यालय नगर पालिका परिषद, किरतपुर (बिजनौर)

पत्रांक 506 /न0पा0परि0किर0/2024–25 दिनांक– 31 –01–2025

:–नोटिस–:

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0 लि0,
गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा0 लि0,
गार्निश बिल्डर्स प्रा0 लि0,
हेड ऑफिस– 26/6 पटेलनगर नई दिल्ली
वाके मौहल्ला हसनपुरा किरतपुर जनपद बिजनौर

विषयः– पत्रांक 145/न0पा0परि0किर0/2023–24 दिनांक 27–02–2024 के निरस्त करने के सम्बन्ध में।

1. यह कि मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0लि0, गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा0 लि0, गार्निश बिल्डर्स प्रा0 लि0 हेड ऑफिस 26/6 पटेल नगर नई दिल्ली निर्माण स्थल मौहल्ला हसनपुरा किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.12.2023 से कामिर्शियल बिल्डिंग निर्माण हेतु नक्शा संलग्न कर अनुमति मांगी गयी थी।
2. यह कि उक्त नक्शे व प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ–पत्र दिनांक 20.05.2022 भी संलग्न किया था, जिसमें पैरा नम्बर 4 में पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उक्त सम्पत्ति के बजरिये बैनामा मालिक थे और आप द्वारा बैनामें दाखिल किये गये थे।
3. यह कि आप द्वारा पैरा नम्बर 5 में ये स्पष्ट किया था कि उक्त सम्पत्ति पर कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है।
4. यह कि आप द्वारा पैरा नम्बर 6 में स्पष्ट है कि यदि उक्त सम्पत्ति पर भविष्य में कोई वाद पाया जाता है तो हमारा मानचित्र निरस्त कर दिया जायें।
5. यह कि उक्त प्रार्थना व शपथ पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त सशर्त आपकों पत्रांक 145/न0पा0परि0किर0/2023–24 दिनांकित 27.02.2024 को सम्पूर्ण शर्तो के साथ व्यवसायिक मार्केट निर्माण अनुज्ञा स्वीकृति पत्र मानचित्र स्वीकार किया गयां।
6. यह कि पत्रांक 145/न0पा0परि0किर0/2023–24 के पैरा नम्बर 6, 07, 16, 17, 20 व 22 के सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्नगत निर्माण में दी स्वीकृति आवेदक द्वारा छल, कपट, गलत दस्तावेज से प्राप्त की जाती है या भू–स्वामित्व अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर स्वीकृति प्राप्त की गयी है, ओर निर्माण दौरान या बन जाने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि निर्माण सरकारी भूमि पर आंशिक/पूर्ण रूप से तैयार है तथा तालाब भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो उक्त समस्त परिस्थितियों में स्वीकृति/अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी अथवा निर्माण अनाधिकृत मानकर ध्वस्त कर दिया जायेगा।
7. यह कि निर्माण स्थल के सम्बन्ध में पैरा नम्बर 23 में स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा पर अनुज्ञा पत्र माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा तथा संक्षम न्यायालय का निर्णय मान्य होगा।
8. यह कि ज्ञात हुआ कि आप द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तो का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है, तथा सही तथ्य छिपाकर और झूठा शपथ–पत्र देकर गलत तरीकों से नगर पालिका परिषद, किरतपुर को गुमराह कर अनुज्ञा–पत्र प्राप्त किया जो कि कानूनन जुर्म है ओर पूर्ण रूप से अवैध है।

अतः आप उक्त नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका परिषद किरतपुर (बिजनौर) के कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ स्पस्टीकरण दें, अन्यथा आपका अनुज्ञा–पत्र संख्या 145/न0पा0 परि0किर0/2023–24 दिनांकित 27.02.2024 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 180 की उपधारा 6 के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी और आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक वद दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी, तथा आपके द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगां।

Recd 1.2.25

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)

17

ANNEXURE-AA-4/6

प्रेषकः—

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0लि0
गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा0लि0
गार्निश बिल्डर्स प्रा0लि0
हैड ऑफिस 26/6 पटेलनगर नई दिल्ली
वाके मौहल्ला हसनपुरा किरतपुर, जनपद बिजनौर।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)।

विषयः— आपके द्वारा प्रेषित पत्रांक 145/न0पा0परि0किर0/2023—24 दिनांक 27.02.2024 के निरस्त करने के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्रांक में वर्णित तथ्य गलत आधार पर अंकित किये गये है, जिनका प्रस्तरवर स्पष्टीकरण प्रार्थी प्रस्तुत कर रहा है—

1— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 1 में भी वर्णित तथ्य सही है, टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

2— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 2 में भी वर्णित तथ्य सही है, टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

3— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 3 में वर्णित तथ्य सही है, क्योंकि प्रार्थी का कोई मुकदमा तत्समय विचाराधीन नहीं था।

4— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 4 में वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये है, लेकिन प्रश्नगत सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और न था, इसलिए मानचित्र निरस्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

5— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 5 में वर्णित तथ्य अपूर्ण अंकित किये गये है, वरन् अनुज्ञा पत्र दिनांकित 27.02.2024 में वर्णित शर्तों के अधीन प्रार्थी को व्यवसायिक मार्केट के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

6— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 6 में आपने अनुज्ञा पत्र के पैरा सं0 6, 15, 16, 19 व 21 को गलत आधार पर अंकित किया है, जबकि अनुज्ञा पत्र के प्रस्तर सं0 6 में यह अंकित है कि मानचित्र स्वीकृति/अनुज्ञा से स्वामित्व से

04-02-25

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तर सं0 15 में यह अंकित है कि प्रश्नगत निर्माण में दी गई स्वीकृति को आवेदक द्वारा छल कपट, गलत दस्तावेज से प्राप्त कर ली जाती है, तो स्वीकृति को निरस्त कर दिया जायेगा, लेकिन प्रार्थी के द्वारा जैसा कि आपने अपने द्वारा प्रेषित पत्र के प्रस्तर सं0 1 में वर्णित किया है कि अपने को बजरिये बैनामा मालिका होना अंकित किया था और बैनामे दाखिल किये गये थे, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्माण में दी गई स्वीकृति को प्रार्थी द्वारा छल कपट या गलत दस्तावेज से प्राप्त नहीं किया गया। संयुक्त उपरांत नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा 6 में स्पष्ट वर्णित है कि बोर्ड उपधारा 1 के अधीन अपने द्वारा दी गई किसी स्वीकृति को 6 मास के भीतर रद्द या उपान्तरित कर सकता है। इसलिए प्रार्थी को व्यवसायिक मार्केट जो अनुज्ञा पत्र दिनांक 27.02.2024 के कम में पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है तथा कुछ कार्य शेष है, जिसका निर्माण जारी है, की अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार नहीं है और चूंकि प्रार्थी द्वारा निर्माण अपने आराजी में अधिकार पूर्वक किया गया है, इसलिए उक्त निर्माण को हरगिज अनाधिकृत नहीं माना जा सकता है और उसे ध्वस्त करने का भी कोई अधिकार आपको नहीं है।

7— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 7 में आपने सही तथ्य अंकित किया है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा, यह अनुज्ञा पत्र न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा और सक्षम न्यायालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

8— यह कि आपके पत्रांक के प्रस्तर सं0 8 में आपका यह लिखना कि "यह कि ज्ञात हुआ कि आप द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है तथा सही तथ्य छिपाकर तथा झूठा शपथ पत्र देकर, गलत तरीकों से नगर पालिका परिषद किरतपुर को गुमराह कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया है, जोकि कानूनन जुर्म है और पूर्ण रूप से अवैध है।" गलत अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही कोई सही तथ्य छिपाये गये है और न ही कोई झूठा शपथ पत्र दिया गया तथा यह अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है कि नगर पालिका परिषद किरतपुर को गुमराह कर

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

19

अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई कानूनन जुर्म नहीं किया। वरन् आपके द्वारा वर्णित कानूनन जुर्म पूर्ण रूप से अवैध सही अंकित किया गया है।

विशेष स्पष्टीकरण

श्रीमान जी, आपके द्वारा गलत आधार पर प्रार्थी को दिक व परेशान करने की नीयत से पत्रांक दिनांकित 31.01.2025 सं0 505 प्रेषित किया गया है, आपको बाखूबी ईल्म है कि प्रार्थी के विक्रेतागण रमेश चन्द गोयल आदि ने राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बिजनौर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, नगर पालिका परिषद किरतपुर द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर के विरूद्ध मूलवाद सं0 586/2013 रमेश चन्द गोयल आदि बनाम राज्य सरकार आदि, न्यायालय सिविल जज सी0डि0 बिजनौर में निषेधाज्ञा हेतु दायर किया था, जिसमें दिनांक 09.12.2015 को निम्न आदेश पारित किया गया–

''दावा वादी आज्ञप्त किया जाता है, प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को हमेशा के लिए निषेधित किया जाता है कि वह आराजी खसरा सं0 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिसवांसी पुख्ता व खसरा सं0 2182/2 रकबई 7 बिसवे 9 बिसवांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघा 15 बिसवे 9 बिसवांसी पुख्ता स्थित ग्राम किरतपुर कस्बा व परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी राकेश कुमार गोयल के स्वामित्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 की दुकानात, मकानात आदि को तोड़ने से बाज रहे।''

उक्त निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर आप नगर पालिका परिषद किरतपुर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर के द्वारा जनपद न्यायाधीश बिजनौर के न्यायालय में सिविल अपील सं0 14/2018 दायर की गई, जिसमें दिनांक 28.04.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"Civil apeal no. 14/2018 Nagar Palika Parishad and others vs. Ramesh Chand Goel and others is hereby dismissed with cost and

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

20

the impugned judgment and decree are hereby confirmed."

यह कि उक्त आदेश का कियान्वयन मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगित नहीं किया गया है और चूंकि आप अधिशासी अधिकारी श्रीमती मेघा गुप्ता व अध्यक्ष श्री अब्दुल मन्नान व प्रभारी तहसीलदार, तहसील नजीबाबाद श्री अमित कुमार मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी0डि0 बिजनौर में इजराय वाद सं0 /2024 गार्निश लैंड प्रा0लि0 बनाम श्रीमती मेघा गुप्ता आदि दिनांक 24.12.2024 को दायर की गई थी, जिसके नोटिस की तामीला आप विपक्षी पर हो चुकी है। उक्त इजराय वाद में दिनांक 06.02.2025 तिथि सुनवाई हेतु नियत है। जिससे क्षुब्ध होकर आपने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर, जिला बिजनौर ने प्रश्नगत नोटिस पत्रांक 506 दिनांक 31.01.2025 जारी किया है। यदि आप विपक्षी ने अनुज्ञा पत्र दिनांकित 27.02.2024 को अपने द्वारा प्रेषित नोटिस के आधार पर निरस्त किया, तब प्रार्थी विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि आपने द्वारा प्रेषित नोटिस पत्रांक 506 दिनांकित 31.01.2025 को वापस ले लें और प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न करे।

सविनय अनुरोध सहित प्रेषित।

प्रार्थी

For Garnish Lands Pvt. Ltd.

Director/Auth. Sign.

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा0लि0 द्वारा
डायरेक्टर अमन गोयल पुत्र श्री प्रदीप
गोयल नि0 मौ0 महाजनान कस्बा व
परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद,
जिला बिजनौर–246731
मो0नं0– 9837133699

–TRUE COPY–

717

:: अनुपूरक नोटिस ::

21

ANNEXURE-AA-4/7

कार्यालय नगर पालिका परिषद, किरतपुर (बिजनौर)

संख्या– 506/न०पा०परि०कि०/2024–25 दिनांक– 5–02–2025

नोटिस द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर जनपद–बिजनौर

बनाम

मैसर्स गार्निश लैंड प्रा०लि०, गार्निश इंफ्रा कॉन प्रा० लि०, गार्निश बिल्डर्स प्रा०लि०,
पता–वांके मौहल्ला हसनपुरा, किरतपुर जनपद–बिजनौर।
मुख्य कार्यालय 26/6 पटेल नगर, नई दिल्ली। द्वारा प्रबंधक

आप विपक्षी द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 178 एक्ट 1979 दिनांक 28–12–2023 को सम्पत्ति स्थित कस्बा किरतपुर सीमाऐं पूरब में आराजी अन्य, पश्चिम में बिजनौर–नजीबाबाद रोड, उत्तर में बिजनौर–नजीबाबाद रोड व दक्षिण में कब्रिस्तान पर निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद, किरतपुर में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त उक्त प्रार्थना पत्र पालिका कार्यालय में पत्रांक संख्या 145–2023–24 दिनांक 28–12–2023 के रूप दर्ज हुआ। इस प्रार्थना पत्र पर आपकी ओर से शपथ पत्र दिनांकित 25–10–2023 भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर आपके हस्ताक्षर है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अनुमति भवन निर्माण दिनांक 27–02–2024 सशर्त निर्गत की गई इस अनुज्ञा पत्र में शर्त सं0–01 "आवेदक अपने स्वामित्व प्राप्त वैधानिक भूमि में ही अपना निर्माण कार्य करायें" निर्धारित थी परन्तु आप विपक्षीगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर निर्माण न कराकर शर्त सं0–22 "प्रस्तावित निर्माण स्थल के निकट तालाब की भूमि 7590 वर्ग मी0 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे" को भंग करते हुए शर्त सं0–22 में वर्णित तालाब रकबई 7590 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शर्त सं0–14 निम्नानुसार लगाई थी कि आपके द्वारा खुली भूमि मे कम से कम पांच वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा तथा वृक्ष लगाते हुए पांच फोटो कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही अनुमति दी जायेगी। इस शर्त के अनुसार कम से कम 5 वृक्ष लगाकर फोटों कार्यालय में जमा किये जाने थे। किन्तु आपके द्वारा इस शर्त का अनुपालन नही किया गया है और न ही फोटो नगर पालिका परिषद, किरतपुर कार्यालय में जमा किये गये है।

आपका स्वामित्व उक्त भूमि पर विवादस्पद है नगर पालिका परिषद, किरतपुर ने इस विवाद में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में द्वितीय अपील 330/2020 योजित की हुई है जिसकी आपकों प्रत्येक समय पूर्ण जानकारी रही है। आपने मा0 न्यायालय सीनियर डिवीजन, बिजनौर से नोटिस निष्पादन वाद सं0 586/2013 भी नगर पालिका परिषद, किरतपुर को निर्गत कराये है। इस तथ्य से भी स्थापित हो रहा है कि आपने अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या–16 "प्रश्नगत निर्माण में दी गयी स्वीकृति को आवेदक द्वारा छल कपट, गलत दस्तावेज से प्राप्त कर ली जाती है तो उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 180 की उपधारा–6 के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति को निरस्त कर दिया जायेगा" एवं शर्त संख्या–17 "भू–स्वामित्व अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति की जानकारी होने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा और इस दौरान किया गया निर्माण अनाधिकृत मानकर ध्वस्त करा दिया जायेगा एवं भुकम्परोध प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा" को भी भंग किया गया है।

क्रमशः––02

22

आपने उक्त स्वामित्व विवाद जिसकी बाबत आपने उक्त निष्पादन वाद योजित किया है एवं नगर पालिका परिषद, किरतपुर से अपील योजित की हुई है को छिपाते हुए उक्त आवेदन सं0 145—2023—24 दिनांक 28—12—2023 में कोई खसरा नं0 उक्त सम्पत्ति का स्पष्ट नही किया था इस प्रकार स्थापित हो रहा है कि अनुज्ञा पत्र में वर्णित शर्तो का भंग आपके द्वारा स्वयं किया गया है। शर्त संख्या—16 के निर्धारण अनुसार उक्त अनुज्ञा निरस्त किये जाने व निर्माण को अनाधिकृत मानकर ध्वस्त किये जाने का मामला बन रहा है।

अतः आप विपक्षी को नोटिस दिया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 5 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण मय साक्ष्यों नगर पालिका परिषद, किरतपुर कार्यालय में प्रस्तुत करें कि अनुज्ञा पत्र दिनांक 27—02—2024 की शर्तो का भंग कर निर्माण किया जाना क्यों न माना जाये तथा इस निर्माण को दी गई अनुमति क्यों न निरस्त कर दी जाये एवं यह भी कि इस निर्माण को अनाधिकृत निर्माण मानकर ध्वस्त करा दिया जाये।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)

Recd.
5.2.25

O/c

-TRUE COPY-

प्रषकः—

23

ANNEXURE-AA-4/8

मैसर्स गार्निश लैण्ड्स प्रा0लि0
गार्निश इन्फ्रा कॉन प्रा0लि0
गार्निश बिल्डर्स प्रा0लि0
हैड आफिस 26/6 पटेल नगर नई दिल्ली
वाके मौ0 हसनपुर किरतपुर, जिला बिजनौर।

सेवा में:—

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद किरतपुर,
जिला बिजनौर।

विषयः— आपके द्वारा प्रेषित पत्र सं0 506/न0पा0परि0कि0/2024—25 दिनांक 05.02.2025 अनुपूरक नोटिस के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित अनुपूरक नोटिस अन्तर्गत धारा 178 एक्ट 1979 दिनांक 18.12.2023 पत्रांक 145—2023—24 दिनांक 28.12.2023 के रूप में दर्ज होना अंकित किया। उक्त सम्बन्ध में आपने पत्रांक 145 दिनांक 31.01.2025 प्रेषित किया था, जिसका जवाब आपके द्वारा दस्ती प्राप्त न करने के कारण दिनांक 04.02.2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दिया गया। अनुज्ञा पत्र दिनांकित 27.02.2024 में जो शर्तें अंकित की गई थी, उन सभी का प्रार्थी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया। आपके द्वारा यह लिखना कि शर्त सं0 22 प्रस्तावित निर्माण स्थल के निकट तालाब की भूमि 7590 वर्गमीटर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगें, के सम्बन्ध में कथन है कि आवेदक द्वारा तालाब की किसी भी ऐसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, जिसका स्वामित्व नगर पालिका परिषद व राज्य सरकार में निहित हो। आवेदक द्वारा समस्त निर्माण अपनी खरीदकर्दा आराजी पर किया गया है। जहां तक शर्त नं0 14 में पांच वृक्ष लगाने का प्रश्न है, आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण करने से पूर्व 5 वृक्ष लगाये थे और उन्हें फोटो भी कार्यालय नगर पालिका परिषद किरतपुर में जमा कर दिये थे, लेकिन व्यवसायिक निर्माण होने के कारण उक्त पेड़ों का विकास न हो सका। बहराल आपके द्वारा केवल आवेदक को

11-02-2025

24

दिक व परेशान करने के लिए नोटिस प्रेषित किया गया है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 180 की उपधारा 6 में स्पष्ट वर्णित है कि बोर्ड उपधारा 1 के अधीन अपने द्वारा दी गई किसी स्वीकृति को 6 मास के भीतर रद्द या उपान्तरित कर सकता है। आपको कोई अधिकार स्वीकृत अनुज्ञा पत्र जिसके आधार पर निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, को रूकवाने अथवा ध्वस्त करने का नहीं है। अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि निष्पादन वाद का ज्ञान होने के पश्चात भी आपने अपील योजित होना अंकित किया, जबकि आपको पूर्ण ज्ञान है कि उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आज तक किसी प्रकार का निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मा0 अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना आपका दायित्व है। लेकिन आपने दायित्व से बचकर आवेदक को विभिन्न प्रकार के नोटिस देकर केवल दिक व परेशान करना चाहते है।

अतः आप अपने उक्त पत्र के आधार पर आवेदक को दी की निर्माण अनुज्ञा पत्र को निरस्त न करे और आवेदक द्वारा किये गये किसी भी निर्माण को ध्वस्त न कराये। उक्त के सम्बन्ध में यदि आप किसी भी प्रकार का आदेश पारित करते है तो वह खुल्लम खुल्ला मा0 न्यायालय सिविल जज सी0डि0 बिजनौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अवहेलना होगी।

सादर सविनय प्रेषित।

आवेदक

मैसर्स गार्निश लैण्ड् प्रा0लि0 द्वारा
डायरेक्टर अमन गोयल पुत्र श्री प्रदीप
गोयल नि0 मौ0 महाजनान कस्बा व
परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद,
जिला बिजनौर—246731,
मो0नं0— 9837233699

Gmail

Vikas Vikram <v.vlawassociates@gmail.com>

Service Additional Affidavit on behalf of Respondent No.4 in OA No. 1270 of 2024 Titled "Imran Ali vs Ministry of Environment and Ors"

1 message

Vikas Vikram <v.vlawassociates@gmail.com> Wed, Feb 4, 2026 at 4:23 AM
To: bhanwar jadon <bhanwar09jadon@gmail.com>, chambersofsaurabhajaygupta@gmail.com, imran.hrln@gmail.com

Advance Service of Additional Affidavit on behalf of Respondent No. 4 in OA No. 1270 of 2024 Titled "Imran Ali vs Ministry of Environment and Ors"

--

Vikas K Singh, Advocate
V & V Law Associates,
134, M.C. Setalvad Block,
Supreme Court of India,
New Delhi - 110001.
M : +91 9911111246

Addl aff NPP Kiratpur.pdf
9916K